सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय चन्दरमुखी, नरीमन प्वाइंट मुंबई 400 021

मंगलवार, दिनांक 30 जून, 2015 को पूर्वान्ह 11.00 बजे सर सोराबजी पोचखानवाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कूपर हॉस्पिटल/ रिलायन्स एनर्जी ऑफिस के पास, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई 400 056 में आयोजित की जाने वाली वार्षिक साधारण बैठक की सूचना की युक्तिका

विशेष कार्य:

मद सं. 4

एफपीओ/अधिकार/क्यूईआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना:

निम्नलिखित पर विचार-विमर्श कर, उपयुक्त पाए जाने पर, किसी संशोधन अथवा संशोधन के बिना विशेष संकल्प के तौर पर पारित करना:

संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनिमय 1970 (अधिनियम) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियम 1998, समय-समय पर यथा संशोधित तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), और/अथवा इस संबंध में वांछित अन्य कोई प्राधिकारी तथा ऐसे अनुमोदन प्रदान करने में, उनके द्वारा निर्धारित शर्तें एवं आशोधनों के अधीन, तथा जिस पर बैंक के निदेशक मंडल की सहमति हो तथा विनियम यथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) यथा अद्यतन आशोधित तथा भारिबैं, सेबी, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के अंतर्गत अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों, प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 एवं अन्य सभी लागू नियमों तथा समय समय पर संगत प्राधिकारियों के निर्देशों के अधीन तथा जिन स्टॉक एक्सचेंज में बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं उनके साथ हुए सूचीकरण करार, बैंक के शेयरधारकों की सहमति होने एवं जिसे बैंक के निदेशक मंडल (इसके पश्चात बोर्ड कहा जाएगा) को अनुदत्त है और किया जाता है, और जिस निबंधन में पूंजी उगाही समिति भी शामिल मानी जाएगी. जिसे बोर्ड ने प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण पत्रिका अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से भारत अथवा विदेश में रु. 5000/- करोड़ (रु. पांच हजार करोड़ मात्र) (प्रीमियम यदि हो, के सहित) तक किया जाता है किसी संख्या में इक्विटी शेयर इस प्रकार से कि किसी भी समय केंद्र सरकार के पास बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी, बाजार कीमतों के डिस्काउंट अथवा प्रीमियम पर किसी भी समय 51% से कम न होते हुए एक या अधिक बार में, एक अथवा अधिक सदस्यों को, भारतीयों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), कम्पनियों, निजि अथवा सार्वजनिक, निवेशक संस्थाओं, सोसायटियों ट्रस्टों, अनुसंधान संस्थाओं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल खरीदारों (क्यूआईबी) यथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधि, पेंशन निधि, विकास वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य संस्थाओं प्राधिकारियों अथवा विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक की इक्विटी/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत अन्य श्रेणी के निवेशकों अथवा बैंक द्वारा उपयुक्त मानते हुए उपर्युक्त में से किसी को अथवा उनके संयोजनों को सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित एवं आबंटित (निश्चित आबंटन और/अथवा निर्गम के ऐसे भाग को प्रतियोगी आधार तथा उसा समय लागू नियम द्वारा अनुमत व्यक्तियों की किन्हीं श्रेणियों सहित) करने के लिए / इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का उपयोग करने हेतु गठित किया है अथवा / पुनर्गठित किया है.

यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव अथवा आबंटन, सार्वजनिक निर्गम (अर्थात फॉलोऑन सार्वजनिक निर्गम) और/अथवा निजि स्थानन, क्वालिफाइड संस्थागत स्थानन सहित अधिक आबंटन के साथ अथवा उसके बिना के विकल्प तथा ऐसा प्रस्ताव निर्गम, स्थानन और आबंटन, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970, सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर उस प्रकार से जारी किया जाएगा जैसा बोर्ड अपने आत्यंतिक विवेकाधिकारों में उपयुक्त समझता हो.

यह भी संकल्प है कि बोर्ड को यह अधिकार होगा कि ऐसी कीमत अथवा कीमतें निर्धारित करे अथवा यदि आवश्यक हो तो लीड मैनेजर्स और/ अथवा अंडरराइटर्स और/अथवा अन्य परामर्शकों अथवा अन्यथा ऐसी शर्तों जिसे बोर्ड, सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों और अन्य सभी लागू नियमों, विधियों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अधीन आईसीडीआर विनियमों के संगत प्रावधानों में वर्णित कीमतों से कम पर नहीं, कीमतें तय करने का आत्यंतिक विवेकाधिकार रखता है, चाहे ऐसे निवेशक बैंक के विद्यमान सदस्य हों अथवा ना हों.

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैंठकें) विनियम 1998 के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर के विनियमों के प्रावधानों विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों तथा विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियम 2000 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) तथा अन्य ऐसे सभी प्राधिकारी जो आवश्यक हों (इसके पश्चात इन्हें संयुक्त रूप से उपयुक्त प्राधिकारी कहा जाएगा) के आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों और/अथवा स्वीकृतियों के अधीन और उनमें से किसी के द्वारा ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/अथवा स्वीकृति (इसके पश्चात जिन्हें आवश्यक अनुमोदन कहा जाएगा) के अधीन बोर्ड अपने अत्यंतिक विवेकाधिकार में समय समय पर एक या अधिक बार में इक्विटी शेयर अथवा वारंट के अलावा अन्य प्रतिभूति जो बाद में इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय अथवा विनिमय योग्य हों, का इस प्रकार निर्गम, प्रस्ताव एवं आबंटन करने कि केंद्र सरकार के पास बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी किसी भी समय 51% से कम न हो के अधीन, सेबी आईसीडीआर विनियमों अथवा तत्सम लागू नियमों के प्रावधानों के अनुरूप बोर्ड द्वारा निर्धारित कीमतों, शर्तों पर स्थान दस्तावेज और/अथवा ऐसे अन्य दस्तावेजों/लिखितों/परिपत्रों/ज्ञापन के माध्यम से सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII में दिए अनुसार क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के अनुसरण में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल खरीदारों (क्यूआईबी) (सेबी आईसीडीआर विनियमों में यथा परिभाषित) को कर सकता है.

यह भी संकल्प किया जाता है कि आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के अनुसरण में क्वालिफाइड संस्थागत स्थानन के मामले में:

(ए) प्रतिभूतियों का आबंटन सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के यथा अर्थों में सिर्फ क्वालिफाइड संस्थागत खरीदरों को किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णत: प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 माह के अंदर पूर्ण किया जाएगा.

(बी) आईसीडीआर विनियमों के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक, विनियम के अनुसार निर्धारित न्यूनतम कीमत से अधिकतम 5 प्रतिशत की छूट के साथ शेयर प्रस्तावित करने के लिए प्राधिकृत है.

(सी) प्रतिभूतियों का न्यूनतम मूल्य निर्धारण की संगत तारीख सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी.

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करते समय एवं आबंटन, लिस्टिंग करते समय बोर्ड को यह अधिकार व शक्ति प्राप्ति होगी कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/वे स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में चाहे गए या दिए गए संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार किया जाए.

यह भी संकल्प किया जाता है कि एनआरआई, एफआईआई और/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेश को नए इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियां, यदि कोई हों, का निर्गम एवं आबंटन, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999, यथा लागू, परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन किया जाएगा.

यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले कथित नए इक्विटी शेयर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1998 यथा संशोधित, अधीन होंगे तथा सभी प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे तथा वे लाभांश घोषित होने, यदि हो, की तारीख पर लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित लाभांश के प्राप्त होंगे.

यह भी संकल्प किया जाता है कि किसी भी निर्गम अथवा इक्विटी शेयर/प्रतिभूतियों को आबंटन के उद्देश्य से, निवेशकों की श्रेणी जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जाती हैं, प्रत्येक बार में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, बोर्ड द्वारा अपने आत्यंतिक अधिकारों में उचित माने गए निर्गम प्रीमियम की राशि सहित सार्वजनिक निर्गम की शर्तें निर्धारित करने हेतु बोर्ड को एतद द्वारा प्राधिकृत किया जाता है एवं वह ऐसे सभी कार्य करने, विलेख मामले एवं कारबार करने एवं ऐसे विलेख, दस्तावेज और करारनामा, जैसा वे अपने आत्यंतिक विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित अथवा वांछित समझें, और निपटान करने अथवा किसी प्रश्न या सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम प्राप्तियां के उपयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों अथवा संदेहों का निपटान करने हेतु अनुदेश अथवा निर्देश देने और शर्तों के संबंध में आशोधनों, परिवर्तनों, विभिन्नताओं, जोड़ने, घटाने, बदलने को स्वीकार करने और उसे प्रभावी करने जो बैंक हित में उचित एवं उपयुक्त समझे जाते हों, उन्हें सदस्यों के आगे और अनुमोदन की आवश्यकता के बिना एवं इस संकल्प के माध्यम से बैंक एवं बोर्ड को प्रदत्त किसी अथवा सभी शक्तियों का उपयोग करने हेतु प्राधिकृत किए जाते है.

यह भी संकल्प किया जाता है कि इन इक्विटी/प्रतिभूतियों को प्रस्तावित करने हेतु किसी बुक रनर(रों), लीड मैनेजर(रों), बैंकर(रों), अंडर राइटर(रों), डिपॉजिटरी(रियों), रजिस्ट्रार(रों), लेखा परीक्षक(कों) से करार एवं आवश्यक सभी व्यवस्थाएं निष्पादित करने और इस प्रस्ताव में शामिल अथवा संबंधित और ऐसी शामिल सभी संस्थानों एवं एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस और उनके समान तथा ऐसी एजेंसियों से उस प्रकार की व्यवस्थाओं करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि के साथ करार निष्पादन के लिए बोर्ड एतदद्वारा अधिकृत है और किया जाता है.

यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी करने के लिए बोर्ड, लीड मैनेजरों, अंडरराइटरों,परामर्शकों और/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों की सलाह से निर्गम(मों) के प्रारूप एवं शर्तों, जिनमें उन निवेशकों की श्रेणी जिन्हें शेयर / प्रतिभूतियों आबंटित की जाती है. प्रत्येक बार में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम, यदि हो, के सहित) अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियमकी राशि/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन/वारंट प्रक्रिया /प्रतिभूतियों के मोचन,ब्याज दर, उन्मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन अथवा उन्मोचन अथवा प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/संपरिवर्तन पर प्रीमियम अथवा छूट, संपरिवर्तन अवधि, रिकॉड तारीख तय करने, बही बंदी तथा उनसे संबंधित मामले अथवा आकस्मिक मामले, भारत और/अथवा विदेश के एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण, जैसा भी बोर्ड अपने आत्यंतिक विवेकाधिकारों में उपयुक्त समझता हो, के लिए बोर्ड एतदद्वारा प्रधिकृत है.

यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसे शेयरों / प्रतिभूतियों, जिनका अभिदान न हुआ हो, उन्हें बोर्ड अनुमत विधि के अंतर्गत अपने द्वारा उपयुक्त समझे गए तरीके से अपने अत्यंतिक विवेकाधिकारों द्वारा निपटान करने के लिए प्राधिकृत हैं.

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझा जाता हो और इक्विटी शेयर के निर्गम से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह के निपटान हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा आगे इसके पूर्ण विवेकाधिकारों में सही, उचित एवं वांछित समझे जाने वाले उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों, विषयों को करने, सभी दस्तावेजों, लेखनों को निष्पादित करने, जो आवश्यक वांछित व इष्टकर हो, को शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव से प्रदत्त अधिकारों से स्पष्टत: उनका अनुमोदन, अंतिम अधिकार व संकल्प मानते हुए उनकी आगे और किसी सहमति, अनुमोदन के बिना, करने हेतु बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है.

आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपयुक्त प्रस्ताव को प्रभावकारी बनाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को इसमें निहित अपनी सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) अथवा बैंक के ऐसे किसी उपयुक्त समझे गए अधिकारी(यों) को, प्रत्ययोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.

निदेशक मंडल के आदेश से
वास्ते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

स्थान: मुंबई **(ए.के. दास)**
दिनांक: 04.06.2015 **सहायक महाप्रबंधक–एमबीडी/कंपनी सचिव**

व्याख्यात्मक वक्तव्य

एफपीओ/राइट्स/क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना

बासल III के विनियमों के अनुसार, बैंक द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2016 तक न्यूनतम 5.5% कॉमन इक्विटी टियर I (सीईटी 1) अनुपात के साथ इक्विटी पूंजी के रूप में 0.625% पूंजी कंवर्जेशन बफर (सीसीबी) बनाए रखना, 7.625% टियर I अनुपात और 9.625 का समग्र सीआरएआर हासिल करना आवश्यक है. बासल III की आवश्यकताओं के अनुपालन, बैंक की भावी विस्तार योजनाओं एवं उसके परिणामस्वरूप पूंजी प्रभार के लिए यह आवश्यक है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और अधिक मजबूत करने हेतु पूंजी में वृद्धि की जाय.

वृद्धि प्राक्कलन के आधार पर आपके निदेशकों ने इक्विटी पूंजी को रु. 5000 करोड़ (रुपए पांच हजार करोड़) तक बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसके लिए बैंक इक्विटी पूंजी को बढ़ाने के विकल्पों यथा सार्वजनिक निर्गम (अर्थात फॉलो-ऑन पब्लिक इश्यू) और /अथवा राइट्स इश्यू और/ अथवा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट सहित प्राइवेट प्लेसमेंट और / अथवा किसी अन्य तरीके जो भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य विनियामक प्राधिकारियों सेबी (आईसीडीआर) विनियम के सभी लागू विनियमों सहित उनके अनुमोदन की शर्तों के अधीन हो का उपयोग कर सकता है बढ़ी हुई पूंजी का उपयोग बैंक के सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनों हेतु किया जाएगा.

यह विशेष प्रस्ताव बोर्ड को किसी समय अथवा समयों में, एक अथवा एक से अधिक बार में, ऐसे मूल्य अथवा मूल्यों में और ऐसे निवेशकों, जिन्हें बोर्ड अपने आत्यंतिक विवेकाधिकार में उपयुक्त समझता हो, इक्विटी शेयर जारी करने की शक्ति प्रदान करने का इच्छुक है. इक्विटी शेयर जारी करने के लिए विस्तृत नियम एवं शर्तें जब भी बनाएं जाएंगे, उन्हें बोर्ड द्वारा मर्चेंट बैंकर्स, अग्रणी प्रबंधकों, सलाहकारों एवं प्रचलित बाजार की स्थिति और अन्य प्रासंगिक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले प्राधिकारियों से विचार विमर्श कर निर्धारित किया जाएगा.

उपरोक्तानुसार क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा इक्विटी शेयरों को जारी करते समय, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि :

(i) इक्विटी शेयरों की मूल्य निर्धारण करने की संगत तारीख, सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अध्याय VIII, और अथवा अन्य लागू विनियमों के अनुसरण, इक्विटी शेयर के प्रस्तावित निर्गम के संबंध अधिनियम एवं अन्य लागू नियमों, अधिनियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अन्तर्गत सदस्यों के अनुमोदन की प्राप्ति के परवर्ती उस बैठक की तारीख, जिसमें पूंजी उगाही समिति ने इक्विटी शेयर प्रस्ताव खोलने का निर्णय लिया हो, होगी.

(ii) चूंकि प्रस्ताव का मूल्य निर्धारण अगले चरण से पूर्व नहीं किया जा सकता है अतः निर्गमित किए जाने वाले शेयरों का मूल्य बताना सम्भव नहीं है. तथापि, ये समय समय पर संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमों, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अर्जन) अधिनियम, 1970 और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एंड बैठकें) विनियम 1998 तथा लागू एवं आवश्यक अन्य कोई भी दिशानिर्देश / विनियम/ सहमति के अनुसरण में होंगे.

(iii) पूर्ण प्रदत्त शेयरों का निर्गमन और आबंटन, सेबी आईसीडीआर विनियमों के यथा अर्थों में सिर्फ क्वालिफाइड संस्थागत खरीदारों को किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णत: प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 माह के अंदर पूर्ण किया जाएगा;

(iv) बाजार की प्रचलित परिस्थितियों एवं अन्य विनियामक आवश्यकताओं पर विचार करते हुए प्रस्ताव के विस्तृत नियम एवं शर्तों को सलाहकारों, लीड मैनेजरों, अंडरराइटरों एवं आवश्यक अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों की सलाह पर निर्धारित किए जाएंगे;

(v) प्रतिभूतियों के निर्गम की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त आबंटन, यदि हो, सहित इस प्रकार से जुटाई गई कुल राशि, पिछले वित्त वर्ष के लेखा परीक्षित तुलनपत्र में बैंक की शुद्ध मालियत के 5 गुना से अधिक नहीं होगी.

(vi) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी (आईसीडीआर) विनियमों द्वारा समय-समय पर अनुमत किए जाने को छोड़कर उक्त प्रतिभूतियां उनके आबंटन की तारीख से 1 वर्ष तक अंतरण /बिक्री के लिए पात्र नहीं होंगी.

(vii) आबंटित इक्विटी शेयर, बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयर के लाभांश सहित सभी संबंद्ध मामलों के लिए समरूप होंगे.

आपके निदेशक इस कार्यसूची के लिए नोटिस में निर्दिष्टानुसार विशेष प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करते हैं.

बैंक के निदेशक उनकी वैयक्तिक क्षमता में उनकी शेयरधारिता के समान तक नोटिस के प्रस्ताव से संबंधित अथवा इच्छुक समझे जाएंगे.

निदेशक मंडल के आदेश से
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए

स्थान : मुम्बई
दिनांक 04.06.2015

(ए.के.दास)
सहायक महाप्रबंधक एमबीडी/कम्पनी सचिव

CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021

ADDENDUM TO THE NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING SCHEDULED TO BE HELD ON TUESDAY, 30TH JUNE, 2015 AT 11.00 A.M. AT SIR SORABJI POCHKHANAWALA BANKER'S TRAINING COLLEGE, NEAR COOPER HOSPITAL/RELIANCE ENERGY OFFICE, JVPD SCHEME, VILE PARLE (WEST), MUMBAI- 400056

Special Business:

Item No. 4

To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following as special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares upto the value of Rs. 5,000/- crore (Rupees Five Thousand Crore Only)(including premium, if any) in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/ or rights issue and/or private placement, including Qualified Institutions Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("SEBI ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of

the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time"

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations:

A) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutions Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations & such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution."

B) The Bank in pursuant to provision of Regulation 85(1) of the SEBI ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.

C) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s),Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to

be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
For Central Bank of India
Sd/-
(A K DAS)
Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary

Place: Mumbai

Date: 04.06.2015

EXPLANATORY STATEMENT

To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.

As per Basel III regulations, the Bank is required to maintain minimum Common Equity Tier-1 (CET 1) ratio of 5.5% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 0.625% in the form equity capital, Tier 1 ratio of 7.625% and overall

CRAR of 9.625% by March 31, 2016. To comply with the Basel III requirement, future expansion plans of the Bank and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

Based on the growth estimates your Directors have decided to raise equity capital up to Rs. 5000 crore (Rupees Five Thousands Crore) and the Bank may use equity capital raising options such as through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutions Placements and/ or any other mode(s) subject to approval of Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities and in accordance with all applicable regulations including the SEBI (ICDR) Regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as the Board in its absolute discretion deems fit. The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutions Placements, it will be ensured that:

i. The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would be , pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or the Capital Raising Committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;

ii. As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

iii. The issue and allotment of fully paid shares shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 12 months of the date of passing the above Resolution;

iv. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.

v. The total amount raised in such manner, including the over allotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited Balance Sheet of the previous financial year;

vi. The Securities shall not be eligible to be transferred/ sold for a period of 1 year from the date of allotment, except on a recognized stock exchange or except as may be permitted from time to time by the SEBI (ICDR) Regulations.

vii. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as mentioned in the notice for this agenda.

The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution of the notice to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
For Central Bank of India

Sd/-
(A K DAS)
Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 04.06.2015